

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल०-219/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक :

डा० सदफ जरीन, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शकुराबाद, जहानाबाद द्वारा दिनांक-11.11.2025 से 09.05.2026 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन प्रथम संतान के प्रसव हेतु उपभोगित/उपभोग की जाने वाली अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-


(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल०-219/2025- 450(2) पटना, दिनांक 24/2/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जहानाबाद/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शकुराबाद, जहानाबाद /जिला कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/डा० सदफ जरीन, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शकुराबाद, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।
2